निर्यातकों को मिलेगी हवाई किराये में 95% छूट

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। केंद्र सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत सहायता का दायरा बढ़ाकर उत्तर प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच आसान कर दी है। नई व्यवस्था से ओडीओपी, हस्तशिल्प, परिधान, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की 50 लाख से अधिक छोटी इकाइयों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए हवाई किराये पर 95 फीसदी तक प्रतिपूर्ति और 600 तरह के प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।

वाणिज्य विभाग ने ईपीएम की तीन उप-योजनाओं मार्केट एक्सेस सपोर्ट (एमएएस), ट्रेड रेगुलेशंस, एक्रेडिटेशन एंड कंप्लायंस इनेबलमेंट (ट्रेस) और लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशंस फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट (लिफ्ट) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने बदलावों का स्वागत करते हुए कहा है कि छोटे और पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय कारोबार के नए अवसर मिलेंगे।



इकाइयों को तीन बड़े फायदे

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और खरीदार-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए हवाई किराये लाभ
- पात्र प्रमाणपत्रों की संख्या 362 से 600 होने से अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में मदद।
- न्यूनतम दूरी की शर्त घटने से माल ढुलाई की लागत में राहत।

एमएएस के तहत हवाई किराये की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र निर्यात टर्नओवर की अधिकतम सीमा 75 लाख से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है। सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को पात्र खर्च पर 95 फीसदी, जबकि अन्य पात्र निर्यातकों को 80 फीसदी तक प्रतिपूर्ति मिलेगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता की अनिवार्य अवधि भी छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दी गई है। इससे मुरादाबाद के पीतल, भदोही के कालीन, कानपुर और आगरा के चमड़ा व जूता उद्योग, वाराणसी के बनारसी वस्त्र और कन्नौज के इत्र कारोबार को विदेशी खरीदार तलाशने में मदद मिलेगी।

ट्रेस योजना में पात्र प्रमाणपत्रों की संख्या 362 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है। इसके तहत गुणवत्ता, सुरक्षा, पर्यावरण और ट्रेसेबिलिटी मानकों से जुड़े प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए सहायता मिलेगी। इससे यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लिफ्ट योजना में लॉजिस्टिक्स सहायता का दायरा 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। जलमार्गों को पात्र परिवहन साधनों में शामिल करने के साथ न्यूनतम दूरी की शर्त 200 से घटाकर 100 किमी की गई है। इससे बंदरगाहों से दूर स्थित औद्योगिक और हस्तशिल्प इकाइयों को माल ढुलाई में राहत मिलेगी। फियो अध्यक्ष एससी रल्हन के मुताबिक, लॉजिस्टिक्स लागत और भौगोलिक कठिनाइयां छोटे निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को प्रभावित करती रही हैं।